सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 108 / 2017

1 कानाराम आयु 65 वर्ष पुत्र खीवाराम जाति जाट निवासी पेवा तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सुगनाराम पुत्र खीवाराम।
2 हणमान पुत्र खीवाराम।
3 हीरालाल पुत्र खीवाराम।
4 किशोर पुत्र खीवाराम।
5 मंगनाराम पुत्र खीवाराम।
6 भंवरलाल पुत्र ईश्वरराम।
7 तेजाराम पुत्र ईश्वरराम।
8 गोपालराम पुत्र ईश्वरराम।
9 शिवराज पुत्र ईश्वरराम।
10 कानी देवी पत्नी ईश्वरराम समस्त जाति जाट निवासीगण पेवा तहसील धोद जिला सीकर।
11 तहसीलदार तहसील धोद जिला सीकर।
12 पंजाब नेशनल बैंक शाखा कृषि उपज मण्डी समिति सीकर जिला सीकर जरिये प्रबंधक।
13 केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड धोद जिला सीकर जरिये प्रबन्धक।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम आज्ञा दिनांकित 31.05.2017 आर.ए.ए.एस.
सुश्री भावना गर्ग उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर
अन्तर्गत राजस्व वाद संख्या 08/2017 सुगनाराम
बनाम कानाराम आदि

उपस्थिति :

1. श्री सुशीला कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पोखरमल भींचर, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 16-12-2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 08/2017 में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 10 के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय धोद जिला सीकर के समक्ष एक किता वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बंटवारा व दुरूस्ती रेवेन्यू रिकार्ड बाबत सुगनाराम बनाम कानाराम आदि राजस्व वाद संख्या 08/2017 प्रस्तुत किया गया था जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.05.2017 को प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री जारी करने के आदेश पारित किये गये। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी किये बिना सूचित किये बिना, जवाबदेही का अवसर दिये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की तामील विधिवत नही हुई है। विचारण न्यायालय में मृत पक्षकार कानी देवी की कायम मुकाम की कार्यवाही किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसा निर्णय प्रारम्भतः शून्य है अपीलांट द्वारा जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं आवेदन धारा 5 स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने हक हिस्से के अनुसार विभाजन के आदेश पारित किये है। पक्षकारों की उपस्थिति में ही विभाजन प्रस्ताव तैयार होते है। विचाराधीन निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित नही होते है। अपील सारहीन है खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में दिनांक 31.05.2017 को वाद प्रस्तुत किया गया। उसी दिन विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारों को नोटिस जारी किये बिना प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी किये बिना सूचित किये बिना, जवाबदेही का अवसर दिये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की तामील विधिवत नही हुई है। विचारण न्यायालय में मृत पक्षकार कानी देवी की कायम मुकाम की कार्यवाही किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसा निर्णय प्रारम्भतः शून्य है अपीलांट द्वारा जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नही मानी जा सकती है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जाती है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.01.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर